



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228609
CG-DL-E-30072021-228609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842]
No. 2842]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3064(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1663 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के क्रम में, एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री ए.आई.एस. चीमा, सदस्य (न्यायिक) की सेवावधि को 20.09.2021 तक (अर्थात् 67 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनके कार्यकाल की समाप्ति की तारीख) या एनसीएलएटी के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. ए-40012/1/2020-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 20 अप्रैल, 2021 की संख्या का. आ. 1663 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3064(E).—In continuation of this Ministry's notifications S.O. 1663(E) dated 20th April, 2021, the term of office of Justice (Retd.) Shri A.I.S. Cheema, Member (Judicial) as officiating Chairperson, NCLAT is extended upto 20.09.2021 (i.e. his tenure ending date as completion of the age of 67 years.), or till the appointment of regular Chairperson in NCLAT, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1663(E), dated the 20th April, 2021.